उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या /2017/9(120)/XXVII(8)/2017
देहरादून:: दिनांक:: 10 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है की लोक हित में ऐसा करना समीचीन है:

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में सूचीबद्ध माल की पूर्तियों को समझे गए निर्यातों के रुप में अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात् -

सारणी

क्रमसं.	पूर्ति का वर्णन
(1)	(2)
1	अग्रिम प्राधिकार के प्रति रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल की पूर्ति
2	निर्यात संवर्धन पूंजी माल प्राधिकार के प्रति रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा पूंजी माल की पूर्ति
3	निर्यातोन्मुख यूनिट को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल की पूर्ति
4	अग्रिम प्राधिकार के प्रति अधिसूचना सं. 50/2017–सीमाशुल्क तारीख 30 जून, 2017 (यथासंशोधित) में विनिर्दिष्ट किसी बैंक या पब्लिक सैक्टर उपक्रम द्वारा स्वर्ण की पूर्ति

स्पष्टीकरण :-

इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, --

1. "अग्रिम प्राधिकार" से आयात के लिए या भौतिक निर्यातों के लिए पूर्व आयात आधार पर इनपुट के घरेलू उपापन के लिए विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के अध्याय 4 के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा जारी प्राधिकार अभिप्रेत है;
2. निर्यात संवर्धन पूंजी माल प्राधिकार से भौतिक निर्यातों के लिए पूंजी माल के लिए आयात के लिए विदेश व्यापार नीति 2015-20 के अध्याय 5 के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा जारी प्राधिकार अभिप्रेत है;
3. "निर्यातोन्मुख यूनिट" से विदेश व्यापार नीति 2015-20 के अध्याय 6 के उपबंधों के अनुसार अनुमोदित निर्यातोन्मुख यूनिट या इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट अभिप्रेत है ।

यह अधिसूचना दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त समझी जाएगी।

7416
13/11/2017

..........................अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

अपर आयुक्त-वाणिज्य कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

DT:/GST Notification/ Notify the supplies of goods (27-10-2017)

सं0 914/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3–विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4–अपर सचिव, वित्त–8, उत्तराखण्ड शासन।

5–एन0आई0सी0

6–गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 914 / 2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 10 November, 2017 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 914 /2017/9(120)/ XXVII(8)/2017
Dehradun :: Dated:: 10 November, 2017

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 147 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to notify the supplies of goods listed in column (2) of the Table below as deemed exports, namely:-

Table

S.No.	Description of supply
(1)	(2)
1.	Supply of goods by a registered person against Advance Authorisation
2.	Supply of capital goods by a registered person against Export Promotion Capital Goods Authorisation
3.	Supply of goods by a registered person to Export Oriented Unit
4.	Supply of gold by a bank or Public Sector Undertaking specified in the notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 (as amended) against Advance Authorisation.

Explanation -
For the purposes of this notification, –

1. "Advance Authorisation" means an authorisation issued by the Director General of Foreign Trade under Chapter 4 of the Foreign Trade Policy 2015-20 for import or domestic procurement of inputs on pre-import basis for physical exports.
2. Export Promotion Capital Goods Authorisation means an authorisation issued by the Director General of Foreign Trade under Chapter 5 of the Foreign Trade Policy 2015-20 for import of capital goods for physical exports.
3. "Export Oriented Unit" means an Export Oriented Unit or Electronic Hardware Technology Park Unit or Software Technology Park Unit or Bio-Technology Park Unit approved in accordance with the provisions of Chapter 6 of the Foreign Trade Policy 2015-20.

This Notification shall be deemed to come into force from the 18th day of October, 2017.

(Radha Raturi)
Principal Secretary

DT:/GST Notification/ Notify the supplies of goods (27-10-2017)